न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 133 / 2021

प्रार्थीगण:—

1. बाबूलाल पुत्र जुहारामजी जाति राजपुरोहित
2. प्रतीगा पुत्र जैरूपाजी जाति राजपुरोहित
3. श्रीमती रूकमोदेवी पत्नी जुहारारामजी जाति राजपुरोहित
4. विजयराज दत्तक पुत्र गिरधारीजी जाति राजपुरोहित निवासीयान रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. अशोकसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
2. गोरधनसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
4. प्रतापसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
5. बादलीदेवी पत्नी वरदाजी जाति राजपुरोहित
6. भगाराम पुत्र खीमाराम जाति राजपुरोहित
7. भभूता पुत्र खीमाराम जाति राजपुरोहित
8. भरतसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
9. रामसिंह पुत्र वरदाजी जाति राजपुरोहित
10. जतीदेवी पुत्री रावता जाति राजपुरोहित
11. जोगसिंह पुत्र रावता जाति राजपुरोहित
12. नरपतसिंह पुत्र रावता जाति राजपुरोहित
13. वसनलाल पुत्र रावता जाति राजपुरोहित
14. शैतानसिंह पुत्र रावता जाति राजपुरोहित सभी निवासीयान रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
15. ग्राम पंचायत रमणिया तहसील सिवाना
16. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर
17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—

1. श्री नरपतसिंह आदी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:25 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

दिनांक :—18.02.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम चौसला आधार सवंत् 2071 –204 सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 708 रकबा 0.2995 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 708 रकबा 0.2995 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18.0.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

वाचक / 2022 / 342

दिनांक : 08.03.2022

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

बाबूलाल वगैरह **अशोकसिंह वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं....133 / 21 दिनांक :–

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा रमणिया पटवार मण्डल रमणिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 708 रकबा 0.2995 हैक्टयर किस्म गै.मु की सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500 / –प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय ... सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

क्रमांक: वाचक / 2022 / 343-346 दिनांक : 08.03.2022

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी रमणिया को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. बाबूलाल पुत्र जुहारा राम जाति राजपुरोहित ... निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना